बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(उर्दू निदेशालय)

का०आ०सं०–उ०नि०–09/2016 56 **/उर्दू पटना, दिनांक–** 3/7/2017

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) का कार्यालय आदेश संख्या उ०नि०–09/2016–04, दिनांक–19.01.2017 सहपठित ज्ञाप संख्या–50, दिनांक–19.01.2017 रद्द किया जाता है।

2. इस प्रकार उर्दू निदेशालय के अधीन कार्यरत उच्चवर्गीय लिपिक का ए०सी०पी० नियमावली 2003 के प्रावधानों के आलोक में प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन 12/24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर दिनांक–09.08.1999 या इसके बाद की तिथि से निम्नवत् अनुमान्य होगा:–

प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन(Ist A.C.P)–4500–7000, पुनरीक्षित पी०बी०2+ ग्रेड पे–2800/–
द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन(2nd A.C.P)–5000–8000,पुनरीक्षित पी०बी०2+ग्रेड पे–4200/–
तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (3rd M.A.C.P)–ग्रेड पे–4600/–

3. उपर्युक्त के आलोक में का०आ०सं०–उ०नि०–45/2013–87/रा०, दिनांक–13.07.2015 सहपठित ज्ञापांक–357/रा०, दिनांक–13.07.2015 एवं का०आ०सं०–उ०लि०–09/2016–04/उर्दू, दिनांक–19.01.2017 सहपठित ज्ञापांक–50/उर्दू, दिनांक–19.01.2017 द्वारा पूर्व में निकासी की गई राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।

4. यदि भविष्य में वित्तीय उन्नयन के निर्धारण के पश्चात कम या अधिक राशि का भुगतान अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो तद्नुसार उसकी भरपाई या वसूली की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

6. तत्संबंधी सूचना सभी संबंधित को दी जाये।

ह०/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या– उ०नि०–09/2016459 **/उर्दू पटना, दिनांक–** 3/7/2017

प्रति :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रति :–सभी प्रमंडलायुक्त/जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति :–सभी संबंधित काषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति :–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ दी जाती है।

प्रति:– अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निदेशक–सह–अपर सचिव, राजभाषा/निदेशक, उर्दू–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक, उर्दू/राजभाषा पदाधिकारी, उर्दू/लेखा प्रशाखा/बजट प्रशाखा/स्थापना शाखा, उर्दू निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है।

प्रति :– सभी संबंधित उच्चवर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रति :– आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु दी जाती है।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

\ishfaque\Ram bahadur ji\Office Order Date-20-06-2017.doc